

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
वालिपर वृत्त वालिपर म0प्र0

(बाहि मालिक)

हस्ताक्षर

स्थान :- वालिपर

दिनांक :- 21.12.2021

14	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ, दिनांक 04.12.2021 को किये गये स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन संलग्न है।।
15	क्या वन संरक्षक, उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वया के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल देवापुर द्वारा प्रस्ताव के भाग-2 में की गई अर्जुंसा के आधार पर सवाई माधौपुर- देवापुर-गोरस (एन.एच.552) चौकीकरण में प्रभावित वन भूमि रकबा 20.568 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अर्जुंसा की जाती है।

संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है